

## कृषि निदेशालय, बिहार, पटना।

पत्र संख्या-9/उपा०कीट०अनु०-43/2012

/क०, पटना, दिनांक

2016

प्रेषक,

हिमांशु कुमार राय, भा०प्र०से०  
कृषि निदेशक, बिहार, पटना।

सेवा में,

श्री विश्वचन्द्र खण्डेलवाल,  
मेसर्स कृषि रसायन एक्सपोर्ट प्रा० लि०,  
द्वारा-धर्मशीला देवी, W/O- उपेन्द्र प्रसाद,  
बड़ी पहाड़ी, अगमकुआँ, पटना-07

विषय :- कीटनाशी बिक्री/भंडारण अनुज्ञप्ति संख्या-167-168 दिनांक-04.07.2008 वैधता तिथि 31.12.2016 में इन्डोर्समेन्ट के संबंध में।

महाशय,

उपर्युक्त विषयक आपके आवेदन पत्र, कोषागार चालान एवं अन्य कागजातों के आधार पर कीटनाशी अधिनियम 1968 नियमावली 1971 एवं आदेश 1986 के निहित प्रावधानों के आलोक में मेसर्स एग्रो लाईफ साइन्सेज कारपोरेशन लि० द्वारा विनिर्मित तीन कीटनाशियों का अनुज्ञप्ति संख्या 167-168 दिनांक-04.07.2008 वैधता तिथि 31.12.2016 के अन्तर्गत इन्डोर्समेन्ट किया जाता है।

क्र० सं०	विनिर्माण कम्पनी का नाम	कीटनाशी का नाम	रजिस्ट्रेशन नं०
1	M/S Agro life Science Corporation Ltd.	Myclobutanil 10% WP	CIR- 111939/2014- Myclobutanil (WP)(344)-2
2		Diafenthiuron 50% WP	CIR- 112990/2014- Diafenthiuron (WP)(346)-46
3		Difenoconazole 25% EC	CIR- 107241/2013- Difenoconazole (EC)(338)-1

2-उपर्युक्त कीटनाशियों का भंडारण प्रतिष्ठान द्वारा कीटनाशी अधिनियम 1968 नियमावली 1971 के विहित प्रावधानों के अधीन निम्नांकित भंडार स्थल पर किया जायेगा:- मेसर्स कृषि रसायन एक्सपोर्ट प्रा० लि०, द्वारा-धर्मशीला देवी, W/O- उपेन्द्र प्रसाद, बड़ी पहाड़ी, अगमकुआँ, पटना-07

3-यह आदेश दिया जाता है कि प्रदत्त कीटनाशियों की बिक्री/भंडारण कीटनाशी अधिनियम 1968, नियमावली 1971, आदेश 1986 में निहित प्रावधानों के अनुसार किया जाय।

4 अनुज्ञप्ति प्राप्त कीटनाशियों के अलावा अन्य कीटनाशी की बिक्री/भंडारण/विपणन एवं वितरण सर्वथा वर्जित होगा।

5-भारत सरकार एवं राज्य सरकार द्वारा निर्गत परिपत्रों का अनुपालन किया जाना आवश्यक होगा। अमानक कीटनाशी पाये जाने पर उक्त कीटनाशी की बिक्री/भंडारण तुरंत बंद कर देना होगा।

6-अपने प्रतिष्ठान का मासिक प्रतिवेदन नियमानुसार कृषि निदेशक/संयुक्त निदेशक (पौधा संरक्षण), बिहार, पटना तथा संबंधित जिला कृषि पदाधिकारी को ससमय भेजे।

7-नियम 10 बी० के तहत सल्फर के लिए अलग से बिक्री पंजी का संधारण करना होगा तथा चेरी होने पर निकटतम पुलिस स्टेशन में रिपोर्ट दर्ज करना होगा।

8-अमानक/मिलावटी/नकली कीटनाशी पाये जाने पर विनिर्माता, राज्य में उनके कन्साइनमेंट एजेन्ट/बिक्रय प्रतिनिधि एवं बिक्रेता के विरुद्ध कीटनाशी अधिनियम के विभिन्न धाराओं के तहत कार्रवाई की जाएगी।

विश्वासभाजन,

ह०/-

(हिमांशु कुमार राय)

कृषि निदेशक, बिहार, पटना।

/क०, पटना, दिनांक 30.12.2016

ज्ञापांक

5660

प्रतिलिपि- (1) संयुक्त निदेशक (पौधा संरक्षण), बिहार, पटना/संयुक्त निदेशक (शष्प) उपादान, बिहार, पटना/सहायक निदेशक (सांख्यिकी), बिहार, पटना/जिला कृषि पदाधिकारी, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रेषित।

✓(2) आई० टी० मैनेजर, कृषि विभाग बिहार, पटना को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु

कृषि निदेशक, बिहार, पटना।